न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 02 / 2024

राज.सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, भरतपुर .....प्रार्थी

बनाम

1—श्री रामजीत पुत्र सत्ताब सिंह जाति गुर्जर निवासी कोडापुरा बाजना बयाना।
2—श्री प्रधान सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह निवासी खारेतपुरा थाना मासलपुर जिला करौली

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित मोटर स्प्रिट एवं हाईस्पीड डीजल (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रब्यूशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ मालप्रैक्टिस) ऑर्डर 2005.

उपस्थित :—
1—पैरोकार सरकार रसद
2—श्री बच्चूसिंह अभिभाषक अप्रार्थी0

निर्णय

दिनांक 29—11—2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 31.3.2024 को चुनाव संबधी नाकेबन्दी के दौरान एसएसटी टीम द्वारा वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 7041 सफेद बोलेरो पिकअप को रोका गया जिसमें 6 ड्रम व 5 छोटी कैनों में 1170 लीटर डीजल एवं 475 लीटर पैट्रोल संग्रहित पाया गया। उक्त सूचना पर तहसीलदार बयाना के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की गई। मौके पर वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 7041 सफेद बोलेरो में 6 ड्रम व 5 छोटी कैनों में 1170 लीटर डीजल एवं 475 लीटर पैट्रोल संग्रहित पाया गया। पैट्रोल भण्डारण की अनुज्ञेय सीमा से अधिक उत्पाद का संग्रहित पाया गया, जो अप्रार्थी द्वारा पैट्रोलियम उत्पादों को अवैध संग्रहण वितरण एवं परिवहन करना पाया गया। पूछताछ में शिवंशकर फिलिंग स्टेशन तातपुर आगरा से खरीद परिवहन कर राजस्थान में लाकर प्रयोग करना बताया। चाहक द्वारा प्रस्तुत बिल बिना उपभोक्ता के नाम के एवं अलग अलग मात्राओं के तथा अलग अलग समय के दिनांक 30.3.2024 के हैं जब कि अप्रार्थी को एसएसटी टीम द्वारा दिनांक 31.3.2024 को सुबह 08:00 बजे गढी बाजना पर रोका गया था, जबकि यह दूरी केवल 6.5 किमी है। उक्तानुसार प्राप्त डीजल एवं पैट्रोल के परिवहन एवं संग्रहण हेतु कोई वैद्य दस्तावेज व अनुज्ञापन मौके पर प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके चलते उत्पादों क नमूने लिये जाकर मोटर स्प्रिट एवं हाई स्प्रिट डीजल (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड प्रबेन्शन ऑफ मालप्रैक्टिस) ऑडर 2005 का स्पष्ट

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

उल्लघंन होने के कारण शेष 468 लीटर पैट्रोल एवं 1164 लीटर डीजल को मय ड्रम एवं ड्रमी तथा वाहन संख्या RJ05GB7041 सफेद बोलेरो पिकअप राजसात किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से जरिये अभिभाषक जबाब पेश किया गया जो शामिल मिसिल किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गईं।

पैरोकार रसद ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि दिनांक 31.3.2024 को चुनाव संबधी नाकेबन्दी के दौरान एसएसटी टीम द्वारा वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 7041 सफेद बोलेरो पिकअप को रोका गया जिसमें 6 ड्रम व 5 छोटी कैनों में 1170 लीटर डीजल एवं 475 लीटर पैट्रोल संग्रहित पाया गया। उक्त सूचना पर तहसीलदार बयाना के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की गई। मौके पर वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 7041 सफेद बोलेरो में 6 ड्रम व 5 छोटी कैनों में 1170 लीटर डीजल एवं 475 लीटर पैट्रोल संग्रहित पाया गया। पैट्रोल भण्डारण की अनुज्ञेय सीमा से अधिक उत्पाद का संग्रहित पाया गया, जो अप्रार्थी द्वारा पैट्रोलियम उत्पादों को अवैध संग्रहण वितरण एवं परिवहन करना पाया गया। पूछताछ में शिवंशकर फिलिंग स्टेशन तातपुर आगरा से खरीद परिवहन कर राजस्थान में लाकर प्रयोग करना बताया। चाहक द्वारा प्रस्तुत बिल बिना उपभोक्ता के नाम के एवं अलग अलग मात्राओं के तथा अलग अलग समय के दिनांक 30.3.2024 के हैं जब कि अप्रार्थी को एसएसटी टीम द्वारा दिनांक 31.3.2024 को सुबह 08:00 बजे गढी बाजना पर रोका गया था, जबकि यह दूरी केवल 6.5 किमी है। दोषी को दण्डित कराने बाबत एफआईआर संख्या 0037 दिनांक 31.3.2024 थाना गढी बाजना में दर्ज है। उक्तानुसार प्राप्त डीजल एवं पैट्रोल के परिवहन एवं संग्रहण हेतु कोई वैद्य दस्तावेज व अनुज्ञापन मौके पर प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके चलते उत्पादों क नमूने लिये जाकर मोटर स्प्रिट एवं हाई स्प्रिट डीजल (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड प्रबेन्शन ऑफ मालप्रैक्टिस) ऑडर 2005 की धारा 2,3 व 4 का स्पष्ट उल्लघंन होने के कारण शेष 468 लीटर पैट्रोल एवं 1164 लीटर डीजल को मय ड्रम एवं ड्रमी तथा वाहन संख्या RJ05GB7041 सफेद बोलेरो पिकअप को राजसात किया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि प्रकरण गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। अप्रार्थी ने अपने निजी कृषि कार्यों, के उपयोग–उपभोग हेतु उत्तर प्रदेश में राजस्थान राज्य से डीजल पैट्रोल की कीमत कम होने के कारण खरीद किया गया है। जिसका कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है जिसके बिल भी अप्रार्थी ने जमा करा दिये हैं। उत्तर प्रदेश में डीजल–पैट्रोल की कीमत कम होने के कारण साथ ही अप्रार्थीगणों के पास समय का अभाव होने एवं

..........3

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

जिला कलक्टर
भरतपुर

पैट्रोल पम्प की दूरी अधिक होने के कारण व आने जाने में डीजल–पैट्रोल के खर्चे से बचने के उद्देश्य से एक साथ अधिक मात्रा में डीजल–पैट्रोल अपने कृषी कार्य के लिये खरीद किया गया था। जिससे समय व आने–जाने का खर्चा बज सके। अप्रार्थी द्वारा डीजल–पैट्रोल का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी0 के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही निरस्त करते हुये जप्त शुदा उत्पादों को अप्रार्थी0 की सुपुर्दगी में दिये जाने एवं प्रार्थना पत्र धारा 6ए ई.सी एक्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि पर गौर किया गया। पैरोकार रसद एवं योग्य अभिभाषक अप्रार्थी के कथनों पर मनन किया। वक्त जांच अप्रार्थी0 द्वारा 1170 लीटर डीजल एवं 475 लीटर पैट्रोल पैट्रोलियम उत्पादों का अवैध संग्रहण एवं उत्तर प्रदेश से राजस्थान में लाकर परिवहन कर विक्रय करना स्पष्ट करता है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का यह कहना कि वह खेतीबाड़ी कृषी कार्य के लिये डीजल पैट्रोल अपने गांव ले जा रहा था। मौके पर वक्त जांच जो बिल खरीद के ड्राईवर के पास मिले थे उन पर भी किसी व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं है, वक्त जांच जो बिल ड्राईवर अप्रार्थी द्वारा पेश किये गये थे वे दिनांक 30.3.24 के जारी हैं जबकि अप्रार्थी को दिनांक 31.3.24 को प्रातः 8 बजे पकड़ा गया है, पैट्रालियम खरीद स्थान और मौका जांच स्थल के बीच की दूरी मात्र 6.5 किलो मीटर है, इस प्रकार यह बिल भी सन्देह उत्पन्न करता है। अप्रार्थी ने सिवाय मौखिक कथनों के ऐसा कोई साक्ष्य कृषि भूमि सम्बन्धी दस्तावेज या पैट्रोल डीजल चलित कृषी यन्त्रों के होने सम्बन्धी पेश नहीं किये गये हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि अप्रार्थी0 1170 लीटर डीजल एवं 475 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ को उत्तर प्रदेश से क्रय कर राजस्थान में बिना किसी अनुज्ञापत्र के परिवहन करने एवं विक्रय करने में लिप्त है। अप्रार्थी का यह कृत्य मोटर स्प्रिट एवं हाईस्पीड डीजल (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रब्यूशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ मालप्रैक्टिस) ऑर्डर 2005 की धारा 2,3 व 4 का स्पष्ट उलंघन है। जॉच नमूने के लिये गये पैट्रोलियम पदार्थ के बाद शेष बचे 468 लीटर पैट्रोल एवं 1164 लीटर डीजल को राजसात किया जाना उचित पाते हैं। प्रकरण में थाना गढीबाजना में एक एफ.आई.आर. संख्या 0037 दिनांक 31.3.24 दर्ज है ऐसी स्थिति में यदि वाहन मालिक दो लाख रुपये के जमानतनामा एवं दो लाख रुपये का सुपुर्दनामा इस आश्य का पेश करे कि न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर अपने खर्चे पर वाहन को पेश करेगा, दौराने विचाराधीन प्रकरण एफआईआर वाहन को दीगर व्यक्तियों को बेचान नहीं करेगा तथा रंग वगे. नहीं बदलेगा तो वाहन को रिलीज किया जावे।

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

जिला कलक्टर
भरतपुर

.....4